

**बिहार सरकार**  
**खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग**  
**अधिसूचना**

राज्य अंतर्गत दलहन एवं तेलहन के उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से चना, मसूर एवं सरसों के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ किसानों को उपलब्ध कराने के लिए राज्य में चना मसूर एवं सरसों/राई की अधिप्राप्ति हेतु क्रय केन्द्रों का संचालन आवश्यक है।

2. रबी विपणन मौसम, 2025-26 अंतर्गत चना, मसूर एवं सरसों की अधिप्राप्ति के लिए राज्य स्तरीय सपोर्टर के रूप में बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम एवं सहकारिता विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यरत पैक्स/व्यापार मंडल को नामित किया जाता है। भारत सरकार द्वारा इस कार्य के लिए केन्द्रीय अभिकरण के रूप में नेफेड एवं एन0सी0सी0एफ0 को नामित किया गया है।

3. राज्य स्तरीय सपोर्टर के रूप में सहकारिता विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यरत पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा चना, मसूर एवं सरसों की अधिप्राप्ति के लिए राज्य के सभी जिलों में क्रय केन्द्रों की स्थापना कर कृषि विभाग के पोर्टल [www.dbtagriculture.bihar.gov.in](http://www.dbtagriculture.bihar.gov.in) पर पंजीकृत/निबंधित राज्य के किसानों से चना, मसूर एवं सरसों की अधिप्राप्ति की जाएगी तथा अधिप्राप्ति से प्राप्त चना, मसूर एवं सरसों को भारत सरकार द्वारा नामित केन्द्रीय अभिकरण नेफेड एवं एन0सी0सी0एफ0 द्वारा स्थापित/चिन्हित CWC/SWC गोदामों में नेफेड/ एन0सी0सी0एफ0 के गुणवत्ता नियंत्रकों के स्तर से गुणवत्ता एवं अधिप्राप्ति की मात्रा हेतु निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर जमा किया जाएगा।

4. रबी विपणन मौसम, 2025-26 में चना, मसूर एवं सरसों की अधिप्राप्ति सहकारिता विभाग के अधिकृत पोर्टल <https://esahkari.bihar.gov.in> के माध्यम से सम्पन्न किया जाएगा।

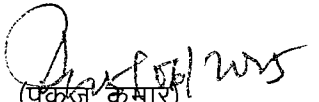
5. रबी विपणन मौसम, 2025-26 में राज्य के किसानों से चना, मसूर एवं सरसों की अधिप्राप्ति के लिए भारत सरकार के पत्र संख्या 6-2/2024-MSP-ES दिनांक 23.10.2024 के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किया गया है, जो निम्नवत है :-

|   |                                   |                         |
|---|-----------------------------------|-------------------------|
| 1 | चना का न्यूनतम समर्थन मूल्य       | 5650/-रूपया प्रति क्वी० |
| 2 | मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य      | 6700/-रूपया प्रति क्वी० |
| 3 | सरसों/राई का न्यूनतम समर्थन मूल्य | 5950/-रूपया प्रति क्वी० |

6. रबी विपणन मौसम, 2025-26 में चना, मसूर एवं सरसों अधिप्राप्ति कार्यक्रम दिनांक 25.06.2025 से प्रारंभ होगा एवं दिनांक 15.07.2025 तक प्रभावी रहेगा तथा नेफेड एवं एन0सी0सी0एफ0 द्वारा स्थापित/चिन्हित CWC/SWC गोदामों में राज्य स्तरीय सपोर्टर पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा अधिप्राप्ति के उपरांत चना, मसूर एवं सरसों की मात्रा को दिनांक 25.06.2025 से 22.07.2025 तक उपलब्ध कराया जा सकेगा।

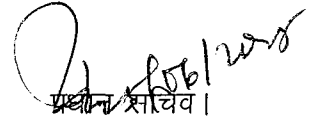
7. यह अधिसूचना चना, मसूर एवं सरसों अधिप्राप्ति रबी विपणन मौसम, 2025-26 अंतर्गत दिनांक 25.06.2025 से 15.07.2025 तक के लिए प्रभावी होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

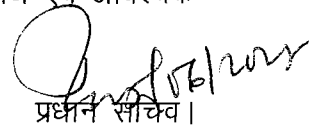
  
(पंकज कुमार)  
प्रधान सचिव।

✍

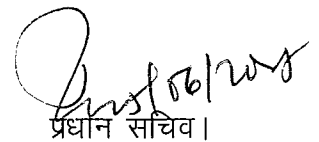
ज्ञापांक प्र010 दलहन-तेलहन अधि0-03/2025 1211 खाद्य, पटना/दिनांक- 25/06/2025  
प्रतिलिपि - अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, गुलजारबाग, पटना -7 को अनुलग्नक सहित सूचना एवं गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इस अधिसूचना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कराते हुए गजट की 100 प्रतियाँ शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।  
अनुलग्नक - दो हार्ड प्रति एवं एक सी0डी0।

  
प्रधान सचिव।

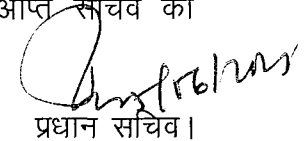
ज्ञापांक प्र010 दलहन-तेलहन अधि0-03/2025 1211 खाद्य, पटना/दिनांक- 25/06/2025  
प्रतिलिपि - सरकार के सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम, खाद्य भवन, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/ निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
प्रधान सचिव।

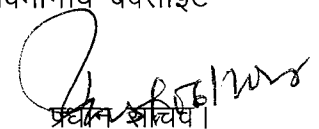
ज्ञापांक प्र010 दलहन-तेलहन अधि0-03/2025 1211 खाद्य, पटना/दिनांक- 25/06/2025  
प्रतिलिपि - मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक प्र010 दलहन-तेलहन अधि0-03/2025 1211 खाद्य, पटना/दिनांक- 25/06/2025  
प्रतिलिपि - माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक प्र010 दलहन-तेलहन अधि0-03/2025 1211 खाद्य, पटना/दिनांक- 25/06/2025  
प्रतिलिपि - आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
प्रधान सचिव।

✓